क.

बजरंग लाल शर्मा

वी.

सी. के. गणित और ओआरएस।

(2012 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 453-454) 23 जनवरी, 2020

[उदय उमेश ललित**,** इंदिरा बनर्जी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

न्यायालय की अवमाननाः

ग

पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण से संबंधित मामला-सुप्रीम कोर्ट ने सूरज भान मीणा मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाली अधिसूचनाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के संदर्भ में कोई कवायद नहीं की गई थी, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में मात्रात्मक डेटा प्राप्त किया जा सके-इसके अनुसार भटनागर समिति का गठन किया गया-समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पिछड़ेपन मात्रात्मक डेटा के आधार पर स्थापित किया गया है-इसके बाद दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा प्रशासनिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि परिणामी वरिष्ठता वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि रोस्टर अंक समाप्त नहीं हो जाते और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त नहीं हो जाती-अवमानना याचिका में पहलेआई. डी. 1 की अधिसूचना अवमानना में नहीं पाई गई थी और न ही #सलाउद्दीन मामले में किसी भी बाध्यकारी निर्देशों का पालन न करने के लिए अमान्य की गई थी-आई. डी. 1 की अधिसूचना संबंधित अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी-इस तरह के जारी करने को अवमानना क्षेत्राधिकार में किसी भी कार्रवाई को आमंत्रित करने के लिए अनुचित नहीं कहा जा सकता है-अवमानना याचिकाएं बंद हैं।

डी.

ई.

च

जी.

अवमानना याचिकाओं को बंद करते हुए**,** न्यायालय ने

अवधारित **1.** इस न्यायालय द्वारा * एम**.** नागराज में घोषित कानून जिसका * * सूरज भान मीणा में पालन किया गया था**,** स्पष्ट है कि

एच.

पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में संबंधित वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के मुद्दे से संबंधित किसी भी मात्रात्मक डेटा के अभाव में, परिणामी वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।इसलिए, सूरज भान मीणा में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाली **28.12.2002** और **25.8.2008** की अधिसूचनाओं को अलग कर दिया गया था।**[**पैरा **14] [509-**एफ**-**जी**]**

2. चूंकि सूरज भान मीणा मामले में निर्णय इस आधार पर था कि मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी, इसलिए राज्य सरकार ने भटनागर समिति का गठन किया।समिति ने मुद्दों पर गौर किया और कुछ सिफारिशें कीं जिनके आधार पर राज्य सरकार द्वारा **11.9.2011** पर एक अधिसूचना जारी की गई थी।उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक **23.2.2012** के आदेश में पाया कि अधिसूचना बाध्यकारी निर्देशों के अनुपालन में नहीं है और अमान्य है। **#**सलाउद्दीन मामले में फैसले ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया।इस प्रकार, दिनांक **1** की अधिसूचना जारी करना अवमानना में नहीं पाया गया और न ही इसे किसी भी बाध्यकारी निर्देशों का पालन न करने के लिए अमान्य कर दिया गया।**[**पैरा **15] [510-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

3. सलाउद्दीन मामले में इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश स्पष्ट थे कि राज्य और उसके अधिकारियों को भटनागर समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्य करना था।

ई.

एम**.** नागराज और सूरज भान मीणा में निर्णय।बुनियादी बात

इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवमानना करने के लिए दिनांकित अधिसूचना जारी करने को प्रस्तुत करने वाली वर्तमान अवमानना याचिकाओं का आधार नहीं है।किसी भी मामले में, उक्त अधिसूचना और भटनागर समिति की रिपोर्ट को चुनौती अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जहां इसकी शुद्धता और वैधता को कानून के अनुसार देखा जाएगा। **[**पैरा **16] [510-**डी**-**एफ**]**

च

4. #जरनैल सिंह मामले में इस अदालत के फैसले के साथ, मामला भी थोड़ा संशोधित आधार पर खड़ा है।जैसा कि इस अदालत ने **#**जरनैल सिंह मामले में निष्कर्ष निकाला, ***** एम**.** नागराज में यह निष्कर्ष कि राज्य को एससी/एसटी के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना है, इंदिरा साहनी मामले में **9** न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत है, अमान्य माना गया।द**.**

जी.

एच.

क.

इसलिए भटनागर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों और समिति द्वारा दिए गए मात्रात्मक आंकड़ों को चुनौती देने को उच्च न्यायालय को **#**जरनैल सिंह मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में देखना होगा।**[**पैरा **17] [510-**एफ**-**जी**]**

5. दिनांक **1** की अधिसूचना जारी करना संबंधित अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रयोग था और यदि दृष्टिकोण और अभ्यास अन्यथा गलत या गलत है, तो मूल चुनौती से निपटने के दौरान इसका परीक्षण और विचार किया जा सकता है,

लेकिन इस तरह के जारी करने को अवमानना क्षेत्राधिकार में किसी भी कार्रवाई को आमंत्रित करने के लिए आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है।अतः अब इन अवमानना याचिकाओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।इन अवमानना याचिकाओं को बंद करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पारस **18** और **19] [510-**एच**; 511-**ए**-**बी**]**

ग

***एम**. नागराज बनाम भारत संघ **(2006) 8** एससीसी **212:**

[2006] 7 पूरक।एससीआर 336; * * सूरज भान मीणा और

डी.

एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य **(2011) 1** एस**.** सी**.** सी**. 467:[2010] 14** एस**.** सी**.** आर**. 532; * * *** इंद्र साहनी बनाम यूनियन

भारत का 1992 का प्रावधान (2) एस. सी. सी. 217:[1992] 2 पूरक।एससीआर

454 ; #सलाउद्दीन अहमद और एक अन्य बनाम समता आंदोलन

(2012) 10 एससीसी 235:[2012] 7 एससीआर 402; ##Jarnail

सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य

ई.

(2018) 10 एससीसी **396:[2018] 10** एस**.** सी**.** आर**. 663-**संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2010] 14 एससीआर **532**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

च

[2012] 7 एससीआर **402**

संदर्भित किया गया है

पैरा **1**

[2006] 7 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 336** पैरा **3.1 [2018] 10** एस**.** सी**.** आर**. 663** पैरा **10 [1992] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **17** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 454**

जी.

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः2012 की सिविल अपील संख्या में 2012 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 453-454।

2012 के सिविल अपील सं. 2504-2505 में पारित दिनांकित 29.08.2012 आदेश के गैर-अनुपालन के लिए दायर याचिकाएँ।

एच.

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस।

क.

एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा, अंचित श्रीपत, उमेश प्रताप सिंह, आर. सी. कोहली, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलजा नंदा, अर्पित प्रकाश, डी. के. देवेश, मिलिंद कुमार, अधिवक्ता।कथित अवमानकर्ताओं/उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. ये अवमानना याचिकाएं सूरज में अपने दिनांकित 07.12.2010 निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन को उजागर करना चाहती हैं।

भान मीणा और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1 और 29.08.2012 सलाउद्दीन अहमद में और एक अन्य बनाम समता आंदोलन 2

ग

और कथित अवमानकर्ताओं/प्रत्यर्थियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करें।

2. 1982 बैच के राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, अवमानना याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए उच्च न्यायालय 3 के समक्ष 2008 की डी. बी. सिविल रिट याचिका No.8104 को प्राथमिकता दी थीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

(i) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय दिनांकित अधिसूचना को रद्द करने और रद्द करने के लिए प्रसन्न हो सकता है।

(ii) आगे उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को निर्देश दे सकता है कि वे "कैच-अप नियम" का सख्ती से पालन करें और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा वरिष्ठता प्राप्त करने का लाभ देने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की तुलना में सभी याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को संशोधित करें, जैसा कि परिपत्र दिनांक 01.04.1997 और अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2000 द्वारा परिकल्पित है।(iii) आगे उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय दिनांकित 20.10.2000 परिपत्र को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने के लिए प्रसन्न हो सकता है क्योंकि यह विभाजन के सिद्धांत के अनुसार नहीं है।

ई.

च

(iv) आगे उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को दी गई वरिष्ठता के लाभ के रूप में 1982 से वरिष्ठता सूची को संशोधित करने का निर्देश दे सकता है।

जी.

1 (2011) 1 एससीसी 467 2 (2012) 10 एससीसी 235

3 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एच.

क.

आर. ए. एस. नियम, 1954 के नियम 33 के अनुसार 1995 से पहले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अवैध है।(v) आगे उचित रिट आदेश या निर्देश द्वारा माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने से रोक सकता है क्योंकि नियम अनुच्छेद 16 (4-ए) के अनुसरण में नहीं बनाए गए थे। वैकल्पिक रूप से यदि नियम 33 परिणामी वरिष्ठता का लाभ देने की बात करता है तो उस नियम को इस हद तक असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए कि यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करता है।

(vi) आगे रिट, आदेश या निर्देश द्वारा उत्तरदाताओं को आर. के. सभरवाल के मामले में परिकल्पित पोस्ट आधारित रोस्टर प्रणाली का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाए और उत्तरदाताओं को उन वर्षों के लिए वर्षवार डी. पी. सी. रखने के लिए 2008 में आई. ए. एस. पद पर चयन के कारण होने वाली 53 सीटों को विभाजित करने का निर्देश दिया जाए।(vii) आगे के रिट, आदेश या निर्देश द्वारा उत्तरदाताओं को परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए तब तक रोका जा सकता है जब तक कि वे एम. नागराज के फैसले में उल्लिखित तीन सम्मोहक कारणों का अस्तित्व स्थापित नहीं कर लेते।

ग

डी.

ई.

(viii) आगे के रिट, आदेश या निर्देश द्वारा उत्तरदाताओं को सभी याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को संशोधित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और उन्हें "कैच-अप नियम" के अनुसरण में उनकी वरिष्ठता का लाभ दिया जाना चाहिए।

(ix) आगे की रिट, आदेश या निर्देश द्वारा उत्तरदाताओं को इस रिट याचिका के निपटारे तक पदोन्नति के माध्यम से आई. ए. एस. संवर्ग के लिए कोई भी चयन करने से रोका जाए।

च

3. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 05.02.2010 4 के आदेश द्वारा 25.04.2008 और 28.12.2002 की अधिसूचनाओं और सभी परिणामी कार्रवाइयों को रद्द कर दिया।उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और सूरज भान 1 में अपने फैसले से उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की गई।इस न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर निम्नानुसार विचार किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

4 बजरंग लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, 2008 का डब्ल्यूपी (सी) No.8104 (राज) और अन्य संबंधित मामले ए

एच.

489

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

“4. सभी रिट याचिकाकर्ता, साथ ही 2010 के एसएलपी (सी) संख्या 6385 में याचिकाकर्ता भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं और राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 द्वारा शासित हैं।रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी रिट याचिकाओं में राजस्थान राज्य द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान "विभिन्न सेवा नियमों" में संशोधन करते हुए जारी की गई अधिसूचना दिनांक 28-12-2002 को चुनौती दी।

5. रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के माध्यम से दिसंबर 1982 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में शामिल किया गया था।दिनांक 26-6-2000 के नोटिस के माध्यम से, राज्य सरकार ने 1-4-1997 पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा चयन ग्रेड की एक अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें रिट याचिकाकर्ता 1, बजरंग लाल शर्मा को सूरज भान मीणा (अनुसूचित जनजाति) और श्रीराम चोरडिया (अनुसूचित जाति) से ऊपर रखा गया था।

ग

डी.

6. उक्त वरिष्ठता सूची अजीत सिंह (द्वितीय) बनाम पंजाब राज्य 5 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश और राम प्रसाद बनाम डी. के. विजय 6 में उसी तारीख के एक अन्य आदेश के अनुसार प्रकाशित की गई थी। एक बार फिर अनंतिम वरिष्ठता सूचियाँ 27-11-2003 और 12-5-2008 पर प्रकाशित की गईं।इसके बाद, राजस्थान राज्य ने सेवा के सुपर-टाइम पैमाने और चयन पैमाने की अंतिम वरिष्ठता सूचियों को 1-4-1997 पर 24-6-2008 और अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांकित 2-7-2008 पर 1-4-2008 पर प्रकाशित किया, जिसमें बजरंग लाल शर्मा का नाम सूरज भान मीणा और श्रीराम चोरडिया दोनों के नामों के नीचे दिखाया गया था।

ई.

7. आई. डी. 1 दिनांकित अधिसूचना, जो रिट याचिका में चुनौती का विषय था, को दो आधारों पर चुनौती दी गई थी।सबसे पहले यह तर्क दिया गया कि दिनांक 1 का परंतुक, जिसे विभिन्न सेवा नियमों में जोड़ा गया था, 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 234 में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन था।

च

अखिल भारतीय समानता मंच बनाम भारत संघ में दायर किया गया, लेकिन

जी.

वही अभी तय किया जाना था।इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थियों ने दिनांकित अधिसूचना 25-4-2008 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में उपर्युक्त प्रावधान को हटाने में अनुचित तरीके से काम किया था।

5 (1999) 7 एससीसी 209 6 (1999) 7 एससीसी 251

एच.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता देने के लिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के आंकड़ों की मात्रा निर्धारित किए बिना नहीं दी जा सकती थी, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि पदोन्नति में उस आरक्षण की आवश्यकता थी और यह भी दिखाया जा सके कि राज्य को पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता जैसे बाध्यकारी कारणों से ऐसे आदेश पारित करने थे, जैसा कि इस न्यायालय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ 7 में अभिनिर्धारित किया था।यह तर्क दिया गया कि चूंकि राज्य सरकार ने एम. नागराज मामले 7 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था, इसलिए विचाराधीन अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है।

8. रिट याचिकाकर्ता बजरंग लाल शर्मा की ओर से आगे यह आग्रह किया गया कि इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 8 में, इस न्यायालय ने माना था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) पदोन्नति के मामले में आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद, संविधान (सत्तत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 लागू किया गया और 17-6-1995 पर लागू हुआ।भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान 9 में दायर की गई बाद की विशेष अनुमति याचिकाएँ,

डी.

अजीत सिंह जानुजा बनाम पंजाब राज्य 10 [अजीत सिंह (आई)] और अजीत

सिंह (द्वितीय) बनाम पंजाब राज्य 5 ने "कैच-अप" नियम पेश किया और कहा कि यदि किसी वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को किसी विशेष संवर्ग में पदोन्नत किए जाने के बाद पदोन्नत किया जाता है, तो वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार उन कनिष्ठों के संबंध में पदोन्नति पर अपनी वरिष्ठता हासिल कर लेगा जिन्हें आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत किया गया था।"

ई.

3.1 एम. नागराज 7 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचार करने के बाद मामला निम्नानुसार समाप्त हुआः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“60. जो महत्वपूर्ण मुद्दा निर्धारण के लिए पड़ा वह यह था कि क्या संवैधानिक संशोधनों के कार्यान्वयन के आधार पर संसद की शक्ति को इस हद तक बढ़ाया गया था कि सभी संवैधानिक सीमाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी की जा सके।

61. "चौड़ाई" परीक्षण और "पहचान" परीक्षण को लागू करते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि सबसे पहले, यह संशोधित अनुच्छेद 16 (4-ए) को पेश करने वाले विवादित संशोधनों के तहत शक्ति की चौड़ाई है और

जी.

7 (2006) 8 एससीसी 212

8 1992 सप.(3) एससीसी 217 9 (1995) 6 एससीसी 684 10 (1996) 2 एससीसी 715 ए

एच.

491

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

16(4-(ख) इसका परीक्षण किया जाना था।उक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, संविधान पीठ, इस विषय पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 335 के अधिदेश के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण देने में अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, जिसके लिए संबंधित राज्य को प्रत्येक मामले में आवश्यक मात्रात्मक डेटा न्यायालय के समक्ष रखना होगा और न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि सेवा की सामान्य दक्षता को प्रभावित किए बिना, किसी विशेष वर्ग या पदों के वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के कारण ऐसा आरक्षण आवश्यक हो गया था।

ग

62. संविधान पीठ ने कहा कि संवैधानिक समानता कानून के शासन में निहित है।हालाँकि, इसकी पहुंच सीमित है क्योंकि इसकी प्राथमिक चिंता सार्वजनिक कानून की दक्षता के साथ नहीं है, बल्कि इसके प्रवर्तन और अनुप्रयोग के साथ है।संविधान पीठ ने यह भी कहा कि शक्ति का विस्तार और अपनी सीमाओं के साथ संशोधन करने की शक्ति संविधान में ही मिलनी चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरक्षण का विस्तार प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।यदि आरक्षण अत्यधिक था, तो इसे रद्द करना होगा।63. यह भी माना गया कि अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) को लागू करने वाले विवादित संविधान संशोधनों को अनुच्छेद 16 (4) से जोड़ा गया था, लेकिन वे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) की संरचना को नहीं बदलते हैं।वे किसी भी संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं जैसे कि एक ओर अधिकतम सीमा और मलाईदार परत की अवधारणा और दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसा कि इंद्र साहनी मामले 8 में माना गया था। 64.अंततः, पूरी कवायद के बाद, संविधान पीठ ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वह चाहे तो, वह संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुपालन के उद्देश्य से आवेदकों के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को छूते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र कर सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

65. वास्तव में, एम. नागराज मामले 7 में जो निर्णय लिया गया है, वह विरपाल सिंह चौहान में व्यक्त किए गए विचारों की आंशिक मान्यता है।

एच.

मामला 9, लेकिन साथ ही इस आधार पर 77 वें, 81 वें, 82 वें और 85 वें संशोधनों की वैधता को बरकरार रखते हुए कि "पकड़" नियम और "परिणामी वरिष्ठता" की अवधारणाएं न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं और उन्हें संवैधानिक सिद्धांत के दर्जे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है ताकि उन्हें संसद की संशोधन शक्ति से परे रखा जा सके।तदनुसार, उक्त संशोधनों की वैधता को बरकरार रखते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) की आवश्यकता को बनाए रखना होगा और आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, यदि बिल्कुल भी हो, तो अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) में इंगित परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा, जो पहचान के रूप में जांच के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।

ग

66. एम. नागराज मामला 7 में निर्णय के बाद की स्थिति यह है कि पदोन्नति में पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर निर्भर है और यह सुनिश्चित करने की शर्त के अधीन है कि क्या इस तरह के आरक्षण की आवश्यकता थी।

डी.

67. उच्च न्यायालय का विचार एम. नागराज मामले 7 के निर्णय पर आधारित है क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 16 (4-ए) के संदर्भ में कोई अभ्यास नहीं किया गया था।राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को परिणामी वरिष्ठता और पदोन्नति प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य द्वारा जारी दिनांकित 28-12-2002 और 25-4-2008 अधिसूचनाओं को सही ढंग से रद्द कर दिया है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

ई.

च

68. तदनुसार, 2010 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6385 में याचिकाकर्ता सूरज भान मीणा और श्रीराम चोरडिया का दावा एम. नागराज मामले 7 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा और तदनुसार निपटाया जाएगा।नतीजतन, राजस्थान राज्य द्वारा दायर 2010 की विशेष अनुमति याचिकाएं (सी) संख्या 7716,7717,7826 और 7838 भी खारिज कर दी जाती हैं।"

जी.

3.2.इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार लिया गया कि ए के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के संदर्भ में कोई अभ्यास नहीं किया गया था।

एच.

493

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों को स्वीकार किया गया था।

4. आई. डी. 1 पर राज्य सरकार ने एम. नागराज 7 में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे भटनागर समिति के रूप में जाना जाता है।समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार थीं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता के मामलों में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के मात्रात्मक आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण।

ग

2. प्रत्येक संवर्ग के विभिन्न स्तरों में पदोन्नति के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की सीमा का पता लगाने के लिए (राज्य में 110 सरकारी संवर्ग हैं)।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा देने में आरक्षण की तुलना में प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करें।

डी.

4.1 समिति ने 19.08.2011 पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।रिपोर्ट के कुछ प्रासंगिक भाग इस प्रकार थे:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 10.5.1.4.2010 पर राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में अपर्याप्तता का समग्र विश्लेषण

ई.

राज्य सेवा की कुल संख्या 11457 अधीनस्थ 64803

ग्रैंड टोटल 76260

स्तरों/श्रेणी वेतन राज्य सेवा की कुल संख्या 12 अधीनस्थ 13

च

कुल 25

राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड पे वाइज में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद समग्र तस्वीर, वास्तव में, इन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अत्यधिक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का संकेत देती है जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

जी.

10.5.1.अधीनस्थ सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता।अधीनस्थ सेवाओं के लिए तेरह स्तर हैं जैसा कि धारा 10.4.13 से 1.4.25 में वर्णित है अर्थात श्रेणी भुगतान 1650 से 4800 और इनके बीच

एच.

494

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

वे कुल 64326 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कुल राज्य और अधीनस्थ सेवाओं का लगभग 84 प्रतिशत है।पहले समूह में 6 स्तरों यानी 2800 से 4800 के विस्तृत विश्लेषण के लिए लिया गया।यह देखा जा सकता है कि 2800 के एक स्तर पर केवल 128 पद हैं और इन्हें छोड़ा जा सकता है।शेष पाँच स्तरों में यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त पाँच तालिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 20-20 परिणामों में से अनुसूचित जाति के लिए खतरनाक कमी, 5 पर्याप्त कमी, 5 मध्यम कमी और 1 सीमांत कमी के परिणाम हैं।दो मामलों में कैडर संतृप्त होते हैं और केवल 3 मामलों (2 मध्यम और 1 सीमांत) में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का संकेत दिया गया है।एसटी के मामले में 11 परिणाम खतरनाक कमी, 2 पर्याप्त कमी, 3 मध्यम कमी और 2 सीमांत कमी दिखा रहे हैं।शेष 2 मामलों में संवर्ग संतृप्त हैं।1650 से 2400 तक के शेष सात स्तरों में, उनमें से चार यानी 1650,1800,1850 और 2100 में छोटी संख्याएँ हैं, जिनका कोई परिणाम नहीं है। 1900, 2000 और 2400 के शेष स्तरों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 12-12 परिणाम खतरनाक अधिकता का कोई मामला नहीं दिखाते हैं, मध्यम अधिकता के दो मामले और सीमांत अधिकता के 5 मामले हैं।इसके विपरीत, 4 खतरनाक कमी के मामले हैं, 6 पर्याप्त कमी के मामले हैं, पांच मध्यम कमी के मामले हैं और एक मामूली कमी के मामले हैं।

ग

डी.

10.5.2.राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता।

ई.

राज्य सेवाओं के 12 स्तरों में से प्रारंभिक चार स्तर यानी 4800,5400,6000 और 6600 17408 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुल राज्य सेवाओं का लगभग 87 प्रतिशत है।फिर से एससी और एसटी के लिए 15 परिणामों में से, एससी 6 के मामले में खतरनाक कमी, 3 में पर्याप्त कमी, 6 में मध्यम कमी और केवल 1 में सीमांत अधिकता दिखाई देती है। एसटी के मामले में, 11 परिणाम खतरनाक कमी को दर्शाते हैं, 3 पर्याप्त कमी को दर्शाते हैं और 1 मध्यम कमी को दर्शाता है। शेष एक परिणाम सीमांत अधिकता का है।दो स्तरों के एक अन्य समूह में, 2244 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7600 और 8700 अपर्याप्तता की ओर एक मिश्रित तस्वीर का संकेत देते हैं।एससी और एसटी के लिए एससी और एसटी प्रत्येक के लिए 8 परिणामों में से 4 परिणाम खतरनाक कमी और 1 सीमांत कमी दिखा रहे हैं।पर्याप्त अधिकता का एक मामला और मध्यम और सीमांत अधिकता का एक-एक मामला है।

च

जी.

एसटी के मामले में 2 परिणाम खतरनाक कमी को दर्शाते हैं, 1 सीमांत पर्याप्त कमी का परिणाम है।1 मध्यम ए का मामला

एच.

495

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

कमी और 2 सीमांत कमी के परिणाम।अंत में, सीमांत अधिकता का एक मामला है।

केवल 72 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो स्तरों यानी 7000 और 7200 का तीसरा समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए संतृप्ति स्तर को इंगित करता है। केवल 240 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्तरों यानी 6800,8200,8900 और 10000 से युक्त अंतिम शेष समूह आम तौर पर अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का संकेत देते हैं। वास्तव में, एससी और एसटी के लिए कुल 16 परिणामों की संख्या, एससी 3 के लिए खतरनाक कमी का संकेत देती है और 1 एक सीमांत कमी दिखाती है।1 मामले में परिणाम संवर्ग की संतृप्ति को दर्शाता है।शेष 11 परिणाम 3 खतरनाक अधिक, 4 पर्याप्त अधिक, 2 मध्यम अधिक और 2 परिणाम सीमांत अधिक के हैं।एसटी के मामले में खतरे की कमी के 6 मामले, पर्याप्त कमी के 1 मामले, मध्यम कमी के 1 मामले और सीमांत कमी के 2 मामले हैं।शेष मामलों में खतरे की अधिकता के 4 मामले, सीमांत अधिकता के 1 मामले और संवर्ग संतृप्ति के 1 मामले हैं।"

ग

डी.

4.2.पैराग्राफ 10.11 से।4 इसके बाद समिति ने विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित उम्मीदवारों की अधिकता/कमी के आंकड़ों पर विचार किया और संबंधित आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में रखा और निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 16.1.सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की वार्षिक जनगणना की जाती है।

ई.

वर्ष 1997,2001,2005 और 2009 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 18.59% से बढ़कर 27.19% हो गया है।पे रेंज वाइज जनगणना ने यह भी संकेत दिया है कि मौजूदा स्तर सबसे कम वेतन श्रेणियों में आवश्यक प्रतिशत तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वे अभी भी उच्च वेतन श्रेणियों में बहुत पीछे हैं।(खंड 9.1.2.2.)।

च

... ...

16.7.मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पिछड़ेपन अच्छी तरह से स्थापित किया गया है।

जी.

समिति ने पाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पिछड़ेपन मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर अच्छी तरह से स्थापित है।(धारा 11.5)।"5. राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 में संशोधन करते हुए राजपत्र में 11.09.2011 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एच.

"कार्मिक विभाग

(A-Gr.-II)

सूचनाएं

जयपुर, 11 सितंबर, 2011

जीएसआर 67.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।**- (1)** ये नियम हो सकते हैं

इसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाता है।

ग

(2) यह माना जाएगा कि वे डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-1997 से लागू हुए हैं।

2. नियम 33 का संशोधन।- राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 33 के उप-नियम (1) में मौजूदा अंतिम परंतुक के बाद, अगले क्रम संख्या में निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता के साथ, तब तक जारी रहेगा जब तक कि रोस्टर अंक समाप्त नहीं हो जाते और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त नहीं हो जाती।

ई.

एक बार रोस्टर अंक पूरा हो जाने के बाद जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए निर्धारित रिक्तियां होती हैं तो पदोन्नति में प्रतिस्थापन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा।

च

यदि इन प्रावधानों के लागू होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी जिन्हें पहले पदोन्नत किया गया था और पर्याप्तता स्तर से अधिक पाए जाते हैं, उन्हें वापस नहीं किया जाएगा और तदर्थ आधार पर जारी रखा जाएगा, और कोई भी कर्मचारी जिसे अधिसूचना संख्या के अनुसरण में पदोन्नत किया गया था। एफ 7 (1) डीओपी/ए-II/96 दिनांकित 1-4-1997 को वापस नहीं किया जाएगा।

जी.

अधिसूचना सं। एफ. 7 (1) डी. ओ. पी./ए-II/96 दिनांकित 1-4-1997 को डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-1997 से निरस्त माना जाएगा।

एच.

497

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

क.

व्याख्याः- पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अर्थ है रोस्टर बिंदु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।"

6. 2010 की डी. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 941 में, जिसे उच्च न्यायालय में पहले दायर किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा 2008 की डी. बी. सिविल रिट याचिका में अपने फैसले और आदेश में जारी निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 23.02.2012 द्वारा कथित अवमानकर्ताओं को निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2010 के उल्लंघन का दोषी पाया।उच्च न्यायालय ने 11.09.2011 की अधिसूचना को अमान्य मानते हुए कहा कि यह वैध अनुपालन के बराबर नहीं है।

ग

7. यह मामला उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को चुनौती देने के रूप में फिर से इस न्यायालय में पहुंचा और इस न्यायालय द्वारा सलाउद्दीन 2 में अपने निर्णय में इस पर विचार किया गया।

7.1.दिनांकित 11.09.2011 अधिसूचना के संबंध में प्रस्तुतियाँ निम्नानुसार नोट की गई थीं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“18. अपीलार्थियों की ओर से पेश होते हुए, विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 11-9-2011 पर जारी अधिसूचना को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह वैध अनुपालन के बराबर नहीं है और 1-4-1997 की अधिसूचना को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिसूचना दिनांक 11-9-2011 द्वारा, पूर्व अधिसूचना दिनांक 1-4-1997 को वापस ले लिया गया था, इसलिए इसे पहले अधिसूचना दिनांक 11-9-2011 को अधिकार से बाहर घोषित किए बिना प्रभावी नहीं किया जा सकता था।19. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि इसे चुनौती देने वाली एक ठोस रिट याचिका के अभाव में 2011 की अधिसूचना को अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता था, और किसी भी स्थिति में, इसे अवमानना कार्यवाही में सवाल नहीं किया जा सकता था या उसमें अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से, जब एम. नागराज मामले 7 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में भटनागर समिति की नियुक्ति की गई थी और उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में 2011 की अधिसूचना जारी की गई थी।... ... ...

ई.

च

जी.

एच.

498

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

38. डॉ. धवन ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि आदेश का उल्लंघन बिना किसी जानबूझकर करने के इरादे के किया जा सकता है।"अनजाने में अक्षमताओं" से निपटने वाले इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों के पैरा 459 का उल्लेख करते हुए, डॉ. धवन

ने बताया कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अदालत के आदेश का उल्लंघन अपराधी की ओर से ऐसा करने के इरादे के बिना किया जाता है।डॉ. धवन ने प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला हो सकता है और तदनुसार, अवमानकर्ताओं को दिनांकित अधिसूचना सहित सभी अधिसूचनाओं को वापस लेकर और दिनांकित आदेश को लागू करके अवमानना से खुद को शुद्ध करने का निर्देश दिया जा सकता है, और अवमानकर्ताओं को बिना सजा के दंडित करने के लिए भी।"

ग

7.2.इस मुद्दे पर कि क्या राज्य और उसके अधिकारी बाध्यकारी निर्देशों के जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन के दोषी थे, इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विचार किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“41. चूंकि उक्त अधिसूचनाओं को रद्द करने के बाद राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए अवमानना याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि राज्य और उसके अधिकारियों ने एम. नागराज मामले 7 में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने में अपनी निष्क्रियता के कारण अदालत की अवमानना की थी और इसे स्वीकार कर लिया गया था और इसमें अपीलकर्ताओं को इस तरह की निष्क्रियता द्वारा अदालत की अवमानना करने का दोषी पाया गया था।42. अगली बात जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऐसी निष्क्रियता किसी ऐसी परिस्थिति के कारण थी जो राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपने दिनांक 4 के फैसले में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में कार्रवाई करने से रोकती थी, या क्या ऐसी निष्क्रियता राज्य और उसके अधिकारियों के जानबूझकर इरादे के कारण थी कि वे इसे प्रभावी न करें।

डी.

ई.

च

43. राजस्थान राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से पेश हुए विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया था कि 5-2-2010 4 का आदेश दो भागों में था।जहां एक भाग दो अधिसूचनाओं को रद्द करने से संबंधित था, वहीं दूसरा भाग संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से पहले मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के लिए एम. नागराज मामले 7 में दिए गए निर्देशों के संबंध में उक्त आदेश में की गई टिप्पणियों के संबंध में था।विद्वान महान्यायवादी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि निर्णय के दूसरे भाग को प्रभावी बनाने के लिए और ए

जी.

एच.

499

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश और सूरज भान मीणा मामले 1 में फैसले के पैरा 68 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, राजस्थान सरकार ने उपरोक्त दो फैसलों में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए भटनागर समिति नियुक्त की थी।विद्वान महान्यायवादी ने यह भी बताया है कि सूरज भान मीणा में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 14-2-2011 पर सभी विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

मामला 1.

44. हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि राज्य और उसके अधिकारियों पर 5-2-2010 4 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश में की गई टिप्पणियों को प्रभावी बनाने से रोकने का आदेश था, या यहाँ तक कि

ग

सूरज भान मीणा मामला 1 में पारित आदेश, राज्य और उसके

अधिकारी इस याचिका पर निष्क्रिय रहे कि उन्होंने एम. नागराज मामले 7 में पारित निर्णय और आदेश के संदर्भ में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए भटनागर समिति को नियुक्त किया था, जिसे इस अदालत ने सूरज भान मीणा मामले 1 में दोहराया था। 45.राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के संदर्भ में कार्य करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करना आवश्यक था।इस तरह के आंकड़ों के संग्रह के लिए, राज्य ने भटनागर समिति नियुक्त की जिसे इस तरह के मात्रात्मक आंकड़ों को प्राप्त करने का काम सौंपा गया था ताकि संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल संशोधित खंड (4-ए) के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके।

डी.

ई.

च

सूरज भान मीणा मामला 1 में।

46. श्री साल्वे, डॉ. धवन और श्री संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के समर्थन में दायर की गई विभिन्न दलीलें, जिसमें अपीलकर्ताओं को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था और विशेष रूप से, एम. नागराज मामले 7 और सूरज भान मीणा मामले 1 में फैसले और आदेशों को लागू करने में कथित निष्क्रियता बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि एम. नागराज मामले 7 और सूरज भान मीणा मामले 1 में निष्कर्षों का पालन करने के लिए, आवश्यक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता थी।

जी.

एच.

500

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

जिसकी अनुपस्थिति में राज्य और उसके अधिकारियों के लिए एम. नागराज मामले में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में कार्रवाई करना संभव नहीं था।

और सूरज भान मीणा मामले 1 में।

47. तदनुसार, हमारा विचार है कि इस तथ्य के बावजूद कि राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दो उपरोक्त मामलों में की गई टिप्पणियों को लागू करने में देरी हुई है, इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का उनकी ओर से कोई जानबूझकर या जानबूझकर इरादा नहीं था।यह तथ्य कि भटनागर समिति नियुक्त की गई थी, इंगित करता है कि राज्य और उसके अधिकारियों का उपरोक्त टिप्पणियों को लागू करने का पूरा इरादा था, हालांकि इस तरह के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है।तदनुसार, हम 2008 की सिविल रिट याचिका संख्या 8410 का निपटारा करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की डिवीजन बेंच द्वारा 5-2-2010 4 पर पारित आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अपीलार्थियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के विवादित फैसले 11 और आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं।नतीजतन, अपील के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार करना पड़ता है।

ग

डी.

48. हम तदनुसार अपीलों को स्वीकार करते हैं और उपरोक्त निर्णय को दरकिनार करते हैं, लेकिन इस निर्देश के साथ कि राज्य और उसके अधिकारी एम. नागराज मामले 7 और सूरज भान मीणा मामले 1 में दिए गए निर्णय के अनुसार भटनागर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में कार्य करें, इस निर्णय और आदेश के संचार की तारीख से दो महीने के भीतर।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

ई.

7.3.इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 46 और 47 में यह पाया गया कि कोई जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था; कि राज्य सरकार ने एम. नागराज 7 मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के संदर्भ में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए भटनागर समिति नियुक्त की थी, जो सूरज भान 1 में निर्णय में सिद्धांतों को दोहराया गया था।पैराग्राफ 48 में इस अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश स्पष्ट थे कि राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को एम. नागराज 7 मामले में दिए गए निर्णय और सूरज भान 1 मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार भटनागर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में इस अदालत के फैसले की तारीख से दो महीने के भीतर कार्य करना था।

च

जी.

11 बजरंग लाल शर्मा बनाम। सलाउद्दीन अहमद, 2008 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.8104 में 2010 की सिविल अवमानना याचिका संख्या 359 और 941, आदेश दिनांक 23-2-2012 (राज)

एच.

501

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

क.

8. उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय द्वारा 29.08.2012 पर दिया गया था और तत्काल अवमानना याचिकाएं नवंबर, 2012 में दायर की गई थीं, जिसमें शिकायत को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“13. राजस्थान राज्य ने इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.8.2012 के फैसले के बावजूद, जिसमें दिनांक 11.9.2011 की अधिसूचना को दिनांक 5.2.2010 और 7.12.2010 के फैसले के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, दिनांक 12.9.2012 पर एक आदेश जारी किया थाःजिसके तहत सभी विभागों को वरिष्ठता सूचियों को प्रकाशित करने और अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 के आधार पर पदोन्नति करने का निर्देश जारी किया गया था।

... ...

ग

14. यह कि राजस्थान राज्य द्वारा दिनांकित 11.9.2011 अधिसूचना के आधार पर पदोन्नति करने की कार्रवाई, इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.8.2012 निर्णय में दिए गए निर्देशों की घोर अवमानना है, राजस्थान राज्य की समझ/स्वीकारोक्ति के बावजूद कि दिनांकित 25.4.2008 और 28.12.2002 अधिसूचनाओं को रद्द करने के बाद, दिनांकित 1.4.1997 अधिसूचना को पुनर्जीवित किया जाता है।दिनांक 5.2.2010 के फैसले का अनुपालन करने के लिए, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकित 29.8.2012 के फैसले के माध्यम से आवश्यक है, सामान्य श्रेणी के कर्मचारी अपने निहित और अर्जित वरिष्ठता के अधिकारों के हकदार हैं।

डी.

... ...

ई.

15. कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्देशों में राजस्थान राज्य को एम. नागराज 7 और सूरज भान मीणा 1 के अनुसार भटनागर समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निर्णय का अनुपालन करने का स्पष्ट निर्देश दिया था।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भटनागर समिति ने एससी/एसटी डब्ल्यू. ई. एफ. को परिणामी वरिष्ठता देने की कोई सिफारिश नहीं की है।यह भी ध्यान देने योग्य है कि भटनागर समिति ने 117 सेवाओं में से केवल 17 सेवाओं का अध्ययन किया और 16 सेवाओं में उन 17 सेवाओं में से पदोन्नति के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व है।एम. नागराज 7 में इस माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले में अध्ययन किया जाना है और जहां पर्याप्त या अत्यधिक प्रतिनिधित्व है कि अनुच्छेद 16 (4 ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।... ..."

च

जी.

9. इस न्यायालय द्वारा 09.01.2013 पर नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद अभिवचनों का आदान-प्रदान किया गया है और कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में रखा गया है।

एच.

9.1.इस बीच, 2012 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13476 और अन्य संबंधित मामलों में अधिसूचना दिनांक 1 और भटनागर समिति की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और चुनौती अभी भी लंबित है।दिनांक 20.09.2016 के आदेश द्वारा यह देखा गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"मामले के तथ्यों को देखते हुए हमारा विचार है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं, अर्थात 2012 की सिविल रिट संख्या 14176,20799,13476,16694 पर अंततः जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए, अधिमानतः उच्च न्यायालय को इस आदेश की सूचना देने की तारीख से तीन महीने के भीतर।

मुकदमे के पक्षकार 30 सितंबर, 2016 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि उस दिन उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जा सके।"

ग

9.2.इसी तरह का प्रभाव 05.12.2017 दिनांकित आदेश था जिसके द्वारा यह देखा गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"हमें सूचित किया जाता है कि हमारे दिनांकित 20.09.2016 के आदेश के अनुसार, दो सप्ताह के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं सूचीबद्ध की जाती हैं।

हम राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह 2012 के सिविल रिट Nos.14176,20799,13476,16694 का बिना किसी देरी के निपटारा करे।"

ई.

9.3.इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने दिनांक 12 के आदेश द्वारा इस मामले को एक बड़ी पीठ को इस बात पर विचार करने के लिए भेजा था कि क्या इस न्यायालय द्वारा एम. नागराज 7 में घोषित कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को स्थगित कर दिया गया था।

च

9.4.इसलिए, वर्तमान अवमानना याचिकाओं को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 03.04.2018 के आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“2012 की रिट याचिका (सी) No.20119 और अन्य संबंधित मामलों के निपटारे पर राजस्थान उच्च न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवमानना याचिकाओं को पोस्ट करें।उच्च न्यायालय द्वारा मामलों का निपटारा किए जाने के बाद पक्षकार इस न्यायालय के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र हैं।"

जी.

12 (2018) 17 एससीसी 261 ए

एच.

503

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

10. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ**,** जरनैल सिंह और

अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य 13 ने मामले को संभाला।

उपरोक्त संदर्भ का उत्तर देते हुए और कहा गयाः- “23. यह हमें इस बात पर लाता है कि क्या नागराज 7 के फैसले पर अन्य आधारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जो हमारे सामने तर्क दिए गए हैं।जहाँ तक वर्ग के पिछड़ेपन का संबंध है, राज्य को मात्रात्मक आंकड़े दिखाने हैं, हमें डर है कि हमें श्री शांति भूषण के तर्क को अस्वीकार कर देना चाहिए।"वर्ग" का संदर्भ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और सार्वजनिक रोजगार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के लिए है।इसलिए यह स्पष्ट है कि नागराज 7 ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने हैं।हमें डर है कि फैसले का यह हिस्सा इंद्र साहनी (1) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के सीधे विपरीत है-जीवन रेड्डी, जे. ने अपने और तीन अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा थाः“[टी] सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की परीक्षा या आवश्यकता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं की जा सकती है, जो निश्चित रूप से "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं।” (एस. सी. सी. पृष्ठ 727, पैरा 796 से 797 देखें।)

ग

डी.

ई.

समान रूप से, डॉ. जस्टिस थॉममेन ने पैरा 323 (4) में अपने निष्कर्ष में निम्नलिखित निर्णय दिया थाः(एस. सी. सी. पीपी. 461-62)

“323. सारांश

* * *

च

(4) केवल ऐसे नागरिक वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वे पिछड़े वर्गों के रूप में पहचाने जाने के योग्य हैं। अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, उनके पिछड़ेपन को या तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत एक अधिसूचना के माध्यम से मान्यता दी जानी चाहिए थी, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, या एक वस्तुनिष्ठ विचार पर, राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतने पिछड़े होने की पहचान की गई थी कि पूर्व भेदभाव और इसके निरंतर दुष्प्रभावों के कारण

जी.

13 (2018) 10 एस. सी. सी. 396

एच.

504

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ तुलनीय।अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अधिसूचनाओं को देखते हुए, इन शर्तों को पूरा माना जाता है।""

24. वास्तव में, चिन्नैया 14 ने अनुसूचित जातियों को पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े के रूप में संदर्भित किया है (पैरा 43 देखें)। यही कारण है कि राष्ट्रपति की सूची में केवल वे जातियाँ या समूह या उसके कुछ हिस्से शामिल हैं, जिन्हें अछूत माना गया है। इसी तरह, अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति सूची केवल दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में उन जनजातियों को संदर्भित करती है जो सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े हैं।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब नागराज 7 राज्यों से पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने की मांग करता है, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, तो यह स्पष्ट रूप से इंद्र साहनी (1) 8 के विपरीत होगा और इस आधार पर इसे खराब घोषित करना होगा।25. हालाँकि, जब क्रीमी लेयर सिद्धांत की बात आती है, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 16 (1) में दिखता है, क्योंकि एक ही वर्ग के भीतर असमान लोगों के साथ उस वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।इस सिद्धांत की उत्पत्ति केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस 15 में पाई जाती है।यह मामला निचले डिवीजन क्लर्कों से उच्च डिवीजन क्लर्कों में पदोन्नति में एक परीक्षण-छूट नियम से संबंधित था।ए 5 द्वाराः2 बहुमत निर्णय, उक्त नियम को एक नियम के रूप में बरकरार रखा गया था जिसे इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता था कि यह आम तौर पर पिछड़े वर्गों को एक पैर देने के साधन के रूप में आवश्यक हो गया था।पैरा 124 में, जे. कृष्ण अय्यर ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 363)

ग

डी.

ई.

"124. समाजशास्त्रीय सावधानी का एक शब्द।अनुभव के आलोक में, यहाँ और अन्य जगहों पर, "आरक्षण" का खतरा, मुझे लगता है, तीन गुना है।इसके लाभ, बड़े पैमाने पर, "पिछड़ी" जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार कमजोरों में से सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखते हैं और भाग्यशाली परतों को पूरे केक का सेवन करने के लिए छोड़ देते हैं।दूसरा, इस दावे को लोकतंत्र में बड़े और मुखर समूहों द्वारा अतिरंजित रूप से पेश किया जाता है, जिनके पिछड़ेपन का बोझ समय की प्रगति और विकास के उपायों से काफी हद तक कम हो गया है।

च

जी.

14 ई. वी. चिन्नैया बनाम ए. पी. राज्य, (2005) 1 एस. सी. सी. 394:(2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 329 15 (1976) 2 एससीसी 310:1976 एससीसी (एल एंड एस) 227 ए

एच.

505

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

बेहतर शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर, लेकिन औपचारिक रूप से ऊपरी कोष्ठक के रूप में वर्गीकृत अपने निकट-बराबर से अधिक अंक प्राप्त करने के साधन के रूप में "कमजोर वर्ग" लेबल पहनना चाहते हैं।अंत में, समस्या का एक स्थायी समाधान केवल सामाजिक वातावरण में सुधार, अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं और अंतर-जातीय और अंतर-वर्गीय विवाहों द्वारा जातियों के पार-निषेचन से आता है, जिसे एक बड़े राज्य कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित किया जाता है, और इस समाधान को पिछड़ेपन में निहित स्वार्थ वाले उच्च "पिछड़े" समूहों द्वारा गणना से छिपा दिया जाता है।लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, न्यायिक प्रभाववाद नहीं, केवल पूरी सच्चाई बताएगा और "दलित" श्रेणियों द्वारा दर्ज की गई प्रगति के वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन की एक निरंतर प्रक्रिया आवश्यक है ताकि एक बार योग्य "आरक्षण" को "विपरीत भेदभाव" में नीचा दिखाया जा सके।वास्तव में अछूते, सबसे पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए प्रशासनिक रणनीति में नवाचार भी इस तरह के सामाजिक-कानूनी अध्ययनों और लेखा परीक्षा अभ्यासों से उभरते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से किया जाता है।वास्तव में, ए. एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना द्वारा किए गए शोध ने हरिजनों के बीच एक दोहरे समाज का खुलासा किया है, एक छोटा अभिजात वर्ग लाभों को हड़प रहा है और काली परतें विशेष रियायतों से दूर सो रही हैं।उनके लिए, अनुच्छेद 46 और 335 एक "महान रोमांस" बने हुए हैं [जैसा कि हक्सले ने इसे "प्रशासनिक निहिलवाद" (तरीके और परिणाम, खंड। 4 संग्रहित निबंध)।], "उच्चतर" हरिजनों को मिलने वाला वरदान।मैं वर्तमान मामले में इसका उल्लेख करता हूं क्योंकि निचले डिवीजन के क्लर्कों को हरिजन मानवता के सबसे निचले स्तर से लिए जाने की संभावना है और कुछ समय के लिए, इस श्रेणी के लिए "परीक्षा" योग्यता को वापस लेने से पदोन्नति की संभावनाओं में तेजी आ सकती है।एक पदानुक्रमित संरचना में एक समतावादी सफलता के लिए कई हथियारों का उपयोग करना पड़ता है और नियम 13-एए शायद एक है।"

ग

डी.

ई.

च

(मूल में जोर) 26।आरक्षण का पूरा उद्देश्य यह देखना है कि नागरिक पिछड़े वर्ग आगे बढ़ें ताकि वे समान आधार पर भारत के अन्य नागरिकों के साथ हाथ मिला सकें।यह तब तक संभव नहीं होगा जब उस वर्ग के भीतर केवल मलाईदार परत ही सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित नौकरियों को हासिल कर ले और खुद को स्थायी बना ले।

जी.

एच.

506

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

बाकी वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े हुए थे।यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि जब कोई अदालत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर मलाईदार सिद्धांत लागू करती है, तो वह किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 या

342 के तहत राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है।उक्त सूची में नामित जाति या समूह या उप-समूह ठीक पहले की तरह जारी है।यह केवल उस समूह या उप-समूह के भीतर के वे व्यक्ति हैं, जो मलाईदार परत से संबंधित होने के कारण अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आए हैं, जिन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है।यहां तक कि ये व्यक्ति जो राष्ट्रपति की सूची में समूह या उप-समूह में शामिल हैं, वे भी उन सूचियों में बने हुए हैं।जब अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आरक्षण सिद्धांत को लागू करने की बात आती है, तभी उस उप-समूह के भीतर क्रीमी लेयर को इस तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है।

ग

27. हम इस बात में जाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं कि संसद अनुच्छेद 341 और 342 के तहत निहित राष्ट्रपति की सूचियों से मलाईदार परत को बाहर कर सकती है या नहीं।यहां तक कि इस धारणा पर कि अनुच्छेद 341 और 342 संसद को इन सूचियों में निहित समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने का अधिकार देता है, यह स्पष्ट है कि संवैधानिक अदालतें, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को मलाईदार परत को बाहर करने के लिए लागू करती हैं, इस अभ्यास में इस तथ्य से विफल नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सूची में किसी विशेष समूह या उप-समूह के भीतर बताए गए व्यक्तियों को मलाईदार परत सिद्धांत के आवेदन पर संसद द्वारा बाहर रखा जा सकता है।संवैधानिक कानून में अक्सर लागू किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है।जब अनुच्छेद 14 और 16 की अन्य अनुच्छेद 341 और 342 के साथ सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि संसद को प्रासंगिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों को राष्ट्रपति की सूची से शामिल करने या बाहर करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।इसी तरह, संवैधानिक न्यायालय, आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता के सिद्धांतों को लागू करते समय ऐसे समूहों या उप-समूहों से मलाईदार परत को बाहर करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होंगे।हम अशोक कुमार ठाकुर 16 में सी. जे. बालकृष्णन के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल पहचान का सिद्धांत है न कि समानता का सिद्धांत।

डी.

ई.

च

जी.

16 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, (2008) 6 एससीसी 1:3 एससीईसी 35 ए

एच.

507

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

28. इसलिए, जब नागराज 7 ने अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) की ओर ले जाने वाले संवैधानिक संशोधनों को बनाए रखने के लिए मूल संरचना परीक्षण के अनुप्रयोग का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर मलाईदार परत परीक्षण लागू किया, तो यह किसी भी तरह से अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 342 के तहत संसद की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता था।इसलिए, हमारी स्पष्ट राय है कि फैसले के इस हिस्से पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप, नागराज 7 को सात-न्यायाधीशों की पीठ में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।हम इस मोड़ पर यह भी जोड़ सकते हैं कि नागराज 7 इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों का एक सर्वसम्मत निर्णय है जो वर्ष 2006 से प्रभावी है।इस निर्णय का बार-बार पालन किया गया है और इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा लागू किया गया है, अर्थात्ः

ग

28.1.अनिल चंद्र बनाम राधा कृष्ण गौर 17 (दो न्यायाधीशों की पीठ)

(पैरा 17 और 18 देखें)।

28.2.सूरज भान मीणा बनाम राजस्थान राज्य 1 (दो न्यायाधीश)

बेंच) (पैरा 10,50 और 67 देखें)।

डी.

28.3.यू. पी. पावर कार्पोरेशनलिमिटेड वी.राजेश कुमार 18 (दो-न्यायाधीश)

बेंच) [पैरा 61,81 (ix), और 86 देखें]।

28.4.एस. पन्नीर सेल्वम बनाम टी. एन. 19 राज्य (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैरा 18,19 और 36 देखें)।

ई.

28.5.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ। 20.

(दो-न्यायाधीश पीठ) (पैरा 9 और 26 देखें)।

28.6.सुरेश चंद गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 21 (दो-न्यायाधीशों की पीठ)

(पैराग्राफ 2 और 45 देखें)।

28.7.बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ 22 (दो-न्यायाधीशों की पीठ) (पैरा 17 से 22 देखें)।"

च

10.1 निर्णय के पैरा 36 में जो निष्कर्ष निकला वह थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -36. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नागराज 7 के फैसले को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, नागराज 7 में यह निष्कर्ष कि राज्य को मात्रात्मक संग्रह करना है

जी.

17 (2009) 9 एससीसी 454 18 (2012) 7 एससीसी 1

19 (2015) 10 एससीसी 292 20 (2015) 12 एससीसी 308 21 (2016) 11 एससीसी 113 22 (2017) 4 एससीसी 620

एच.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले आंकड़े, जो इंद्र साहनी (1) में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के विपरीत हैं, इस हद तक अमान्य माने जाते हैं।"

11. इसके बाद, 2019 के अंतर्वर्ती आवेदन No.17130 के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए 05.10.2018 दिनांकित आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"एस. एल. पी. No.2368/2011 बी. के. पवित्रा बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांकित 09.02.2017 निर्णय के संदर्भ में विधि विभाग की राय के अनुसार।भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लोक सेवकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में परिणामी वरिष्ठता के लाभ केवल पदोन्नति में पर्याप्तता की शर्त के पूरा होने तक या रोस्टर बिंदु पूरा होने तक ही बढ़ाए जा सकते हैं।रोस्टर बिंदु की पूर्ति के बाद, प्रतिस्थापन सिद्धांत लागू होगा।

डी.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लोक सेवकों की पदोन्नति के मामले में, जहां प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता हासिल की गई है, परिणामी वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है और सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लोक सेवकों को उनकी परिणामी वरिष्ठता फिर से मिल जाएगी और तदनुसार वरिष्ठता सूचियां जारी की जाएंगी।

ई.

च

इसलिए सभी भर्ती अधिकारियों/एच. ओ. डी. को उपरोक्त आदेश को शब्द दर शब्द लागू करने का निर्देश दिया गया है।"

12. राज्य सरकार की ओर से दायर किए गए दिनांक 17.02.2019 के हलफनामे में हलफनामे के पैरा 3 में निम्नलिखित रुख अपनाया गया थाः- "3. राज्य सरकार द्वारा सर्कुलर दिनांक 05.10.2018 के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई थी।हालाँकि, 05.10.2018 A दिनांकित परिपत्र जारी होने के तुरंत बाद राज्य सरकार द्वारा 05.10.2018 A दिनांकित परिपत्र को निष्क्रिय/रोक दिया गया था।

जी.

एच.

509

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

अक्टूबर 2018 के महीने में ही।इस प्रकार 05.10.2018 के परिपत्र पर कभी कार्रवाई नहीं की गई है।वर्तमान सरकार दिनांकित 05.10.2018 परिपत्र की प्रभावकारिता की फिर से जांच करने की मांग कर रही है।यह दोहराया जाता है कि 05.10.2018 का परिपत्र निष्क्रिय है।"

13. हमने अवमानना याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. एल. लाहोटी और कथित अवमाननाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी को सुना।

विद्वान अधिवक्ता श्री लाहोटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि सूरज भान मीणा 1 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था; कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवमानना में दिनांक 1 की अधिसूचना थी; कि दिनांक 2 के हलफनामे में लिया गया रुख पूरी तरह से गलत था और 50 से अधिक अंतर-विभागीय आदेश पारित किए गए थे जो दिनांक 3 के परिपत्र को लागू करते हुए पारित किए गए थे; कि आर. ए. सी. संवर्ग में दिनांक 3 के परिपत्र के पर्याप्त स्तर को प्राप्त करने के बाद अवमानना याचिकाकर्ता को आर. ए. एस. 23 से आई. ए. एस. 24 तक पदोन्नति में आरक्षण के सभी परिणामी लाभों के साथ वरिष्ठता प्राप्त करने का लाभ दिया जाना चाहिए।

ग

डी.

जवाब में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना दिनांक 1 को बाध्यकारी निर्देशों की अवमानना में पाया गया था और विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा निष्क्रिय माना गया था; हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार इस न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था; और इसलिए अधिसूचना 1 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवमानना में नहीं माना जा सकता है; ऐसी अधिसूचना और भटनागर समिति की सिफारिशों को चुनौती अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित थी; और यह कि लंबित रिट याचिकाओं में से एक अवमानना याचिकाकर्ता की थी।

ई.

च

14. एम. नागराज 7 में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, जिसका सूरज भान मीणा 1 में पालन किया गया था, स्पष्ट है कि सार्वजनिक रोजगार में पिछड़ेपन और संबंधित वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के मुद्दे से संबंधित किसी भी मात्रात्मक डेटा के अभाव में, परिणामी वरिष्ठता का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।इसलिए, सूरज भान मीणा 1 में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने वाली 28.12.2002 और 25.08.2008 की अधिसूचनाओं को अलग कर दिया गया था।

जी.

15. चूंकि सूरज भान मीणा 1 में निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि मात्रात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी, इसलिए राज्य सरकार ने भटनागर समिति का गठन किया।समिति ने मुद्दों पर गौर किया और कुछ सिफारिशें कीं जिनके आधार पर राज्य सरकार द्वारा 11.09.2011 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी।यह अवमानना के बराबर है या नहीं, यह उच्च न्यायालय के समक्ष चर्चा का विषय था, जिसने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में पाया कि अधिसूचना बाध्यकारी निर्देशों के अनुपालन में नहीं है और अमान्य है।सलाउद्दीन 2 में चुनौती अन्य बातों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपने अवमानना अधिकार क्षेत्र में आए निष्कर्ष पर थी और सलाउद्दीन 2 में निर्णय के पैरा 18 और 19 में दर्ज विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह था कि इसे चुनौती देने वाली किसी भी ठोस रिट याचिका के अभाव में, कहा गया कि अधिसूचना पर अवमानना अधिकार क्षेत्र में सवाल नहीं उठाया जा सकता था।सलाउद्दीन 2 के फैसले ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया।इस प्रकार, दिनांक 1 की अधिसूचना जारी करना अवमानना में नहीं पाया गया और न ही इसे किसी भी बाध्यकारी निर्देशों का पालन न करने के लिए अमान्य कर दिया गया।16. वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा पैरा 48 में जारी किए गए निर्देश स्पष्ट थे कि राज्य और उसके अधिकारियों को एम. नागराज 7 और सूरज भान मीणा 1 में दिए गए निर्णयों के अनुसार भटनागर समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्य करना था।इस प्रकार, वर्तमान अवमानना याचिकाओं का मूल आधार इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवमानना करने के लिए दिनांकित अधिसूचना जारी करने को प्रस्तुत करता है। किसी भी मामले में, उक्त अधिसूचना और भटनागर समिति की रिपोर्ट को चुनौती अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जहां इसकी शुद्धता और वैधता को कानून के अनुसार देखा जाएगा।

17. जरनैल सिंह 13 में इस अदालत के फैसले के साथ मामला भी थोड़ा संशोधित आधार पर खड़ा है।जैसा कि इस न्यायालय ने जरनैल सिंह 13 में निष्कर्ष निकाला कि एम. नागराज 7 में यह निष्कर्ष कि राज्य को इंदिरा साहनी 8 में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत एससी/एसटी के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना है, अमान्य माना गया था।इसलिए भटनागर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों और समिति द्वारा दिए गए मात्रात्मक आंकड़ों को चुनौती देने को उच्च न्यायालय को जरनैल सिंह 13 मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में देखना होगा।

जी.

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन सभी मुद्दों को एक ठोस चुनौती के रूप में देखने की आवश्यकता है और यह अवमानना ए के दायरे से बाहर होगा।

एच.

511

बजरंग लाल शर्मा बनाम सी. के. गणित और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

अधिकार क्षेत्र।दिनांक 1 की अधिसूचना जारी करना संबंधित अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रयोग था और यदि दृष्टिकोण और अभ्यास अन्यथा गलत या गलत है, तो मूल चुनौती से निपटने के दौरान इसका परीक्षण और विचार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के जारी करने को अवमानना क्षेत्राधिकार में किसी भी कार्रवाई को आमंत्रित करने के लिए आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता है।

19. इन परिस्थितियों में, हम इन अवमानना याचिकाओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।इन अवमानना याचिकाओं को बंद करने का निर्देश दिया जाता है।हालाँकि, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे उन सभी मामलों पर विचार करें जहाँ दिनांकित अधिसूचना जारी करने और भटनागर समिति की सिफारिशों और ऐसे संबद्ध मुद्दों को चुनौती दी गई है और इस आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इसका निपटारा करें।

ग

कल्पना के. त्रिपाठी

अवमानना याचिकाएं बंद कर दी गईं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.